निर्णय ब इजलास जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 109/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

प्रभू दयाल पुत्र स्व॰ श्री नारायण जाति खण्डेलवाल ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती सरिता शर्मा आर.ए.एस॰ पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम।
2 श्रीमती रूपा देवी पत्नी स्व॰ श्री राधा बल्लभ
3 भंवर लाल पुत्र स्व॰ श्री राधा बल्लभ
4 श्रीनाथ पुत्र स्व॰ श्री राधा बल्लभ
5 सीताराम पुत्र स्व॰ श्री राधा बल्लभ
6 कैलाश पुत्र स्व॰ श्री राधा बल्लभ
7 मु॰ लाली पुत्री स्व॰ श्री राधा बल्लभ
8 छुट्टन पुत्री स्व॰ श्री राधा बल्लभ
9 श्रीमती सरस्वती पत्नी गिरिराज पुत्रवधु स्व॰ श्री राधा बल्लभ
10 मनीष पुत्र गिरिराज पौत्र स्व॰ श्री राधा बल्लभ
11 गोविन्द पुत्र गिरिराज पौत्र स्व॰ श्री राधा बल्लभ

समस्त जाति खण्डेलवाल ब्राह्मण, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जयपुर जिला जयपुर ।

12 ईश्वर लाल पुत्र गंगा बक्स
13 महेश कुमार पुत्र ईश्वर लाल
14 मनोज कुमार पुत्र ईश्वर लाल

समस्त जाति खण्डेलवाल ब्राह्मण, निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जयपुर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 147/2022 ब उनवानी नारायण बनाम राधा बल्लभ व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित है ।
2. श्री नीरज मुवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 14 की ओर से

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 14.11.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 147/2022 व उनवानी नारायण बनाम राधा बल्लभ व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2 लगायत 14 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज मुवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 05.07.2024 को पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत थी, लेकिन उस दिन पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को बुलाया और बुला कर कहने लगी कि आज तो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ही खारिज कर रही हूँ । उक्त वाद में कुछ नहीं रखा है ,मैं जल्द ही उक्त वाद को खारिज करूंगी। जब प्रार्थी ने निवेदन किया कि गलत खातेदारी इनराज हो रखी है जिसकी उद्घघोषणा के लिए मैने श्रीमान के समक्ष दावा व दस्तावेज पेश किये है। बिना साक्ष्य के आप मेरा दावा कैसे खारिज करोगी। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने तुनक कर कहा कि साक्ष्य से क्या होगा मैने जैसे तुम्हारी टी आई खारिज की है वैसे ही इस दावे को खारिज कर दूंगी। यह सुन कर प्रार्थी के नीचे की जमीन खिसक गई और प्रार्थी निराश हो कर कोर्ट के बाहर आकर बैठ गया तो विपक्षी संख्या 4 श्रीनाथ अपने भाई सीताराम के साथ पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकला और कहने लगा कि तुम जो चाहे कर लो हमारी साहब से बात हो गई है। हम जल्द ही उक्त वाद को खारिज करवा कर रहेंगे। हम बहुत ही राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। हमने साहब के ऊपर बहुत बडा प्रेसर डलवा दिया है जिस पर प्रार्थी मायुस होकर बिना तारीख लिये ही घर चला गया और सारी घटना घरवालों को बताया, जिस पर घरवालों ने प्रार्थी को ढाढस बंधाया । उक्त कृत्य से प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से कोई न्याय प्राप्ति की उम्मीद नहीं है। यदि प्रकरण का स्थानान्तरण अन्यत्र सक्षम अधिकारी के यहां नहीं किया जाता है तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की कृषि भूमि में निहित अपने हक से सदा सदा के लिये वंचित हो जायेगा जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 147/2022 व उनवानी नारायण बनाम राधा बल्लभ व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर